

**म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर**  
**उप संचालक लोक शिक्षण लिखित परीक्षा-2008**  
**परीक्षा दिनांक 23.01.2011 (रविवार)**

विज्ञप्ति क्र. 353/19/2011/अनु-10

इन्दौर, दिनांक 11/07/2011

आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2008/29.12.2008 आवेदन प्राप्ति अंतिम तिथि 30.01.2009 परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 18.10.2010 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उप संचालक लोक शिक्षण के स्थायी-09 पदों हेतु उप संचालक लोक शिक्षण लिखित परीक्षा-2008 परीक्षा दिनांक 23.01.2011 (रविवार) को केवल इन्दौर स्थित परीक्षा केन्द्र पर दो सत्रों में आयोजित की गई थी।

कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या अनारक्षित 12, अनुसूचित जाति 03, अनुसूचित जनजाति 06, अन्य पिछड़ा वर्ग 06 है। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION, INDORE**

**DEPUTY DIRECTOR PUBLIC EDUCATION WRITTEN EXAM - 2008**

**RESULT DECLARED DATE : 11-07-2011**

**ROLL NO. WISE LIST OF ALL PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES FOR INTERVIEW**

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1	10018	BHIMANWAR INDRA MOHAN	PROVISIONAL
2	10029	CHOUHAN RAMESHWAR	
3	10031	CHOURGADE ARVIND KUMAR	
4	10037	DEKATE RAJENDRA KUMAR	PROVISIONAL
5	10041	DHURWEY UMESH KUMAR	PROVISIONAL
6	10044	DR PATEL REKHA	PROVISIONAL
7	10055	DWIVEDI RAJENDRA PRASAD	PROVISIONAL
8	10056	DWIVEDI RAM CHARITRA	
9	10067	GOYAL SANJAY	
10	10077	JAIN ANJALI	
11	10084	JAISWAL ANURAG	
12	10085	JATAV MAHESH KUMAR	PROVISIONAL
13	10101	KUSHWAH TEEKAM SINGH	
14	10104	KUSHWAHA KAMAL SINGH	
15	10110	MASRAM KAMAL SINGH	PROVISIONAL
16	10111	MASTKER NARAYAN	PROVISIONAL
17	10114	MEHTA RAKESH RANJAN	PROVISIONAL
18	10123	MOUDGIL ATUL KUMAR	
19	10138	PANDEY DEEPAK KUMAR	
20	10153	PATEL KISHOR KUMAR	PROVISIONAL
21	10161	PILLAI JAYASHREE	
22	10199	SHARMA RANJAN KUMAR	
23	10201	SHARMA SUBHASH CHANDRA	
24	10218	SINGH PRITHVI PAL	
25	10223	SMT JADOUN ASHA	
26	10263	WARKADE JAI SINGH	PROVISIONAL
27	10264	WARKADE MUNNI	PROVISIONAL

टीप:-

- (1) सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- (2) उप संचालक लोक शिक्षण लिखित परीक्षा-2008 परीक्षा दिनांक 23.01.2011 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 05/08/2011 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, एवं उनकी अर्हता निरस्त हो जायेगी।
- (3) प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 29 एवं 30 Aug 11 से आयोजित होंगे।
- (4) परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (5) आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
- (6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
- (7) प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चरपा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- (8) लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

*M. K. Sharma*  
11/7/11  
(डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा)  
परीक्षा नियंत्रक